

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./1210/2003/अजमेर</u>  <b>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम धन्ना</b></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b>  <b>श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित :</b>  श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उप राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी।  विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b>  दिनांक:-17.12.2025</p> <p>1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर अजमेर ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या 52/2002 में अपने आदेश दिनांक 19-02-2003 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2. रेफरेन्स प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार केकडी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2924 किस्म नदी की भूमि का इन्द्राज गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से उक्त इन्द्राज को निरस्त कर पुनः इस भूमि को नदी के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>3. न्यायालय अपर कलेक्टर अजमेर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 19-02-2003 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है।</p> <p>4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के अप्रार्थी उपस्थित नहीं आए। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।</p>	

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./1210/2003/अजमेर</u>  <b>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम धन्ना</b></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>5. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी।</p> <p>6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15-08-1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में नदी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल तुलनात्मक विवरण संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2924 रकबा 163 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि किस्म नदी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के बाद सेटलमेण्ट खसरा नम्बर 2010/214 रकबा 13 बिस्वा कायम हुए है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2041 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 2010/214 रकबा 13 बिस्वा भूमि धन्ना पुत्र गुल्ला कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1358 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2924 रकबा 163 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि किस्म गै0मु0 नदी दर्ज है। नकल जमाबंदी 2016-19 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 2924 रकबा 163 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि नदी व नाला दर्ज है। नकल</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./1210/2003/अजमेर</b> <b>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम धन्ना</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जमाबंदी सम्बन्ध 2058 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 3212 रकबा 0.11 है। भूमि धन्ना वल्द गुल्ला साकिन नयागांव के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2010/1/214 रकबा 0.11 है। के हाल खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.11 है। कायम हुए हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व में नदी दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई।</p> <p>8- राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार <b>“गै0मु0 नाला/नदी, जैरआब”</b> किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार है:-</p> <p><b>“4. Land not available for allotment under these rules.-</b> The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-</p> <p>(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955”</p> <p>9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-</p> <p><b>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-</b> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./1210/2003/अजमेर</u> राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम धन्ना	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में <b>नदी</b> की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:-</p> <p>All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.</p> <p>11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अपर कलेक्टर अजमेर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।</p>	

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <u>रेफरेन्स(एचसी)/एल.आर./1210/2003/अजमेर</u>  <b>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम धन्ना</b></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>12- परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 3212 रकबा 0.11 है० भूमि को राजस्व रिकार्ड में पुनः गै०मु० नदी दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं।</p> <p>13- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)</b> सदस्य</p>	